रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 18, 1984/चैत्र 29, 1906
No. 11] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 18, 1984/CHAITRA 29, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 3

जी-13 ग्राउन्ड फ्लोर, सी आर बिल्डिंग, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1984

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु/3/एस आर 3/7-83/225 :— अतः मुझे बी० के० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/— रु० से अधिक है और जिसकी संख्या ई-12 है तथा जो एन० डी० एस० ई० भाग-II, नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई-83, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार-मूल्य से कम से कम वृध्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके वृध्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृध्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत, अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1. श्री/श्रीमती/कुमारी बिर कुमार नवलखा, (अन्तरक)
निवासी -बी-55, ग्रेटर कैलाश-1,
नई दिल्ली

2. श्री/श्रीमती/कुमारी (1) मै० विरेश्वर सिंह नरुला (एच-यू-एफ) (2) मै-बलबीर सिंह नरुला, (3) मै० नरिश्वर सिंह नरुला, (4) मै० हरपीश्वर सिंह नरुला (एच-यू-एफ) सी-66, एम० डी० एस० ई-11, नई दिल्ली

3. श्री/श्रीमती/कुमारी .....(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
.....
.....

4. श्री/श्रीमती/कुमारी .....(वह व्यक्ति जिसके बारे में .....
.....अधोहस्ताक्षरी जानता है कि
.....वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूं।
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि पर बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा :

(ख) इस सूचना के राज-पत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कमर्शियल-कम-निवासीय प्रा० सं० ई-12, एन०डी०एस०ई-II, नई दिल्ली एरीया 250 वर्ग गज,

बी० के० गुप्ता,
सक्षम अधिकारी सहायक आयकर
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 3 दिल्ली,/नई दिल्ली-110002

तारीख : 12-4-84
मोहर :

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE
ROOM NO. 412 CR BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 12th April, 1984

Notice under section 269 D(1) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)

Ref. No. IAC/Acq. III/SR. III/7.83/225 :—Whereas I, B.K. GUPTA being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the said Act have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. E-12 situated at N.D.S.E. II New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering office at on July 1983, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the aforesaid property exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between and transferee(s) has not been truly started in the said instrument of transfer with the transferor(s) object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1952 (27 of 1952)

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby intiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269 D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri/Smt./Km. Bir Kumar Nowlakha R/o B-55 Greater Kailash, Part I, New Delhi—(Transfer)

(2) Shri/Smt./Km. 1. M/s. Virender Singh Narula HUF —(Transferee)

2. M/s. Balbir Singh Narula HUF

3. Narinder Singh Narula HUF

4. Harpinder Singh Narula HUF, C-66 N.D.S.E. Part-II New Delhi.

(3) Shri/Smt./Km.————————————————————, (Person(s) in occupation of the ———————————————, property)

(4) Shri/Smt./Km.————————————————————, (person(s) whom the undersigned knows to be interested in ——————————————— the property.)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of aforesaid persons within a priod of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the Official Gazette :

Explanation :—The terms and expressions used herein as are Defined in Chapter XX-A of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Commercial-cum-Residential property No. E-12 New Delhi South Extension Part-II, New Delhi 250 sq. yds.

Date : 12-4-1984

Seal :

B.K. GUPTA, Competent Authority
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax) Acquisition Range III Delhi/New Delhi

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984